न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–12 / 2024 दायर दिनांक– 23.7.2024

GCMS NO:- 2024/162 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

जयनारायण आ0 शंकर जाति मीणा नि0 अरनिया हाल नि0 उग (कावरा) तहसील व जिला टॉक

प्रार्थी

बनाम

1. जितेन्द्र आ0 राजूलाल जाति मीणा नि0 गंभीरी।
2. बदाम बाई पत्नी राजूलाल जाति मीणा नि0 गंभीरी।
3. प्रकाश आ0 सोजीलाल जाति मीणा नि0 गंभीरी।
4. भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री महावीर नागर, श्री रामराज नागर।

निर्णय दिनांक 22.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गंभीरी प0म0 मानपुरा मे भूमि खसरा नम्बर 556 रकबा 0.3317 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्राथी के खातेदारी व आधिपत्य की भूमि है। प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 3 प्रार्थी से रंजिश रखते है इस कारण दुर्भावना पूर्वक बिना किसी हक या अधिकार के अवैघ व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से विवादित भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। यही वाद का कारण है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, सीमाज्ञान आवेदन, सीमाज्ञान मौका पर्चा प्रति आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के सीमाज्ञान के लिए आवेदन किया हुआ है तथा पत्रावली को चलते लगभग 10 माह का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम गंभीरी प0म0 मानपुरा मे भूमि खसरा नम्बर 556 रकबा 0.3317 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ